

मुख्य सचिव-सह-अध्यक्ष, राज्य कार्यकारिणी समिति (State Executive Committee) की अध्यक्षता में दिनांक-10.05.2022 को सम्पन्न राज्य कार्यकारिणी समिति के बैठक की कार्यवाही :-

1. श्री सुखदेव सिंह, — अध्यक्ष,
मुख्य सचिव, झारखण्ड।
2. श्री अरुण कुमार सिंह, — सदस्य,
अपर मुख्य सचिव,
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण
विभाग, झारखण्ड, राँची।
3. श्री राजीव अरुण एक्का, — सदस्य,
प्रधान सचिव,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग,
झारखण्ड, राँची।
4. श्री अजय कुमार सिंह, — सदस्य,
प्रधान सचिव,
वित्त विभाग,
झारखण्ड, राँची।
5. अमिताभ कौशल, — सदस्य सचिव
सचिव,
आपदा प्रबंधन प्रभाग,
झारखण्ड, राँची।

निर्णय:-1(I)

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, भारत सरकार के पत्रांक-16/11/2021-RR दिनांक-11.09.2021 द्वारा निर्गत दिशा-निदेश एवं गृह मंत्रालय (आपदा प्रबंधन प्रभाग), भारत सरकार के पत्रांक-33-04/2020-NDM-I दिनांक-25.09.2021 द्वारा निर्गत मद एवं मापदण्ड के परिप्रेक्ष्य में कोविड-19 के संक्रमण से प्रति मृतक के लिये निर्धारित 50,000/- रुपये की दर से सहायता अनुदान भुगतान हेतु उपलब्ध कागजातों के आधार पर जिलों को निम्नवत् राशि स्वीकृत किये जाने पर सहमति प्रदान की गई :-

क्र०सं०	जिला का नाम	स्वीकृत राशि
1	2	3
1	राँची	3,26,00,000
2	गुमला	25,00,000
3	सिमडेगा	4,00,000
4	लोहरदगा	62,50,000
5	खूँटी	5,00,000
6	हजारीबाग	30,00,000
7	रामगढ़	15,00,000
8	चतरा	6,00,000
9	कोडरमा	4,00,000
10	गिरिडीह	4,00,000
11	धनबाद	10,00,000
12	बोकारो	60,00,000

क्र०सं०	जिला का नाम	स्वीकृत राशि
13	पूर्वी सिंहभूम	15,00,000
14	पश्चिमी सिंहभूम	4,00,000
15	सरायकेला-खरसावाँ	13,50,000
16	पलामू	20,00,000
17	गढ़वा	4,00,000
18	लातेहार	4,00,000
19	दुमका	8,00,000
20	जामताड़ा	4,00,000
21	देवघर	6,00,000
22	गोड्डा	16,00,000
23	साहेबगंज	13,00,000
24	पाकुड़	4,00,000
कुल योग:-		6,63,00,000

- (II) कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के पत्रांक-133 दिनांक-18.01.2021, पत्रांक-755 दिनांक-05.03.2021, पत्रांक-1324 दिनांक-20.05.2021 तथा पत्रांक-1954 दिनांक-04.08.2021 द्वारा अगस्त, 2020 से नवम्बर, 2020 तक संचालित दाल-भात केन्द्रों (शहरी एवं ग्रामीण) के माध्यम से उपलब्ध कराये गये निःशुल्क भोजन हेतु प्रेषित अधियाचना के आलोक में समीक्षोपरांत प्रति लाभुक रु० 5/- की दर से जिलावार लाभुकांश राशि निम्नरूपेण स्वीकृत किये जाने पर सहमति प्रदान की गई :-

क्र०सं०	जिला का नाम	स्वीकृत राशि (रु० 5/- प्रति लाभुक)
1	राँची	44,65,010
2	गुमला	7,90,815
3	सिमडेगा	10,88,800
4	लोहरदगा	12,07,765
5	खूँटी	9,48,520
6	हजारीबाग	30,74,725
7	रामगढ़	13,87,665
8	चतरा	16,22,670
9	कोडरमा	4,70,230
10	गिरिडीह	25,44,780
11	धनबाद	34,14,900
12	बोकारो	30,00,000
13	पूर्वी सिंहभूम	22,20,405
14	पश्चिमी सिंहभूम	29,28,605
15	सरायकेला-खरसावाँ	16,14,430
16	पलामू	32,70,970
17	गढ़वा	15,67,060
18	लातेहार	17,75,190
19	दुमका	13,05,890
20	जामताड़ा	12,13,745
21	देवघर	19,80,835
22	गोड्डा	8,87,910
23	साहेबगंज	10,89,195
24	पाकुड़	14,38,690
कुल योग:-		4,53,08,805

निर्णय:-2 राज्य में आये प्राकृतिक आपदा—Cyclone YAAS, 2021 से हुए क्षति के संदर्भ में विभाग/जिलों से प्राप्त अधियाचित राशि हेतु दिनांक 07.07.2021 को सम्पन्न राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि का राज्य को विमुक्त राशि से स्वीकृत करने पर सहमति प्रदान की गई, के उपरान्त विभागीय पत्रांक—05/रा.आ.मो.नि.(CYCLONE YAAS आवंटन)—14/2021—29 आ.प्र. दिनांक 24.01.2022 द्वारा क्षति का आंकलित राशि अपवाद स्वरूप राज्य को विमुक्त राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि 200 (दो सौ) करोड़ से व्यय करने की अनुमति का अनुरोध किया गया, जिसके आलोक में गृह मंत्रालय (आपदा प्रबंधन प्रभाग), भारत सरकार के पत्रांक— 11-01/2022-NDM-I दिनांक—18.02.2022 द्वारा राज्य आपदा मोचन निधि की उपलब्ध राशि से व्यय करने का निदेश के परिपेक्ष्य में Cyclone YAAS, 2021 से हुए क्षति पर विभाग/जिलों से प्राप्त अद्यतन अधियाचना पर विचारोपरान्त जिलों को मदवार राशि की स्वीकृति पर सहमति प्रदान की गई है:-

(I) फसल क्षति के निमित्त कृषि इनपुट अनुदान हेतु जिलों को स्वीकृत राशि का विवरण:-

क्र०सं०	जिला कानाम	पत्रांक/दिनांक	स्वीकृत राशि
1	2	3	4
1	राँची	210/15.06.2021 एवं 88(i)/17.02.2022	58,85,081
2	गुमला	994/22.06.2021	60,075
3	लोहरदगा	1173/13.08.2021	43,60,271
4	खूँटी	228/05.06.2021 एवं 244/25.06.2021	20,03,982
5	हजारीबाग	1088/02.06.2021	5,71,200
6	रामगढ़	696/25.05.2021	32,96,565
7	चतरा	1629/21.06.2021	3,85,830
8	बोकारो	1246/02.06.2021	62,370
9	पूर्वी सिंहभूम	1481/16.06.2021 एवं 1845/28.07.2021	93,000
10	पश्चिमी सिंहभूम	129(A)/17.06.2021	2,10,191
11	सरायकेला—खरसावाँ	2151/14.06.2021	9,13,171
12	गोड्डा	465/10.06.2021	25,522
13	साहेबगंज	597/23.08.2021	89,13,148
14	पाकुड़	460/31.05.2021	5,47,020
कुल योग:-			2,73,27,426

(II) क्षतिग्रस्त कपड़ा—बर्तन के निमित्त को स्वीकृत राशि का विवरण :-

क्र०सं०	जिला कानाम	पत्रांक/दिनांक	स्वीकृत राशि
1	2	3	4
1	पूर्वी सिंहभूम	1481/16.06.2021 एवं 1845/28.07.2021	44,84,000
2	पश्चिमी सिंहभूम	129(A)/17.06.2021	77,400
कुल योग:-			45,61,400

(III) मानव क्षति एवं मृत पशु के Replacement के निमित्त को स्वीकृत राशि का विवरण :-

क्र० सं०	जिला का नाम	पत्रांक/दिनांक	स्वीकृत राशि	
			मानव क्षति	मृत पशु
1	2	3	4	5
1	राँची	88(i)/17.02.2022	20,00,000	
2	सिमडेगा	762(ii)/17.06.2021		60,000
3	चतरा	1629/21.06.2021	4,00,000	
4	कोडरमा	807/31.05.2021	4,00,000	
5	बोकारो	1246/02.06.2021	4,00,000	25,000
6	दुमका	70/24.06.2021		25,000
7	गोड्डा	465/10.06.2021		3,000
8	साहेबगंज	597/23.08.2021	8,00,000	
कुल योग:-			40,00,000	1,13,000

(IV) क्षतिग्रस्त मकान की मरम्मत एवं पुनर्निर्माण के निमित्त जिलों को स्वीकृत राशि का विवरण :-

क्र०सं०	जिला का नाम	पत्रांक/दिनांक	स्वीकृत राशि
1	2	3	4
1	राँची	210/15.06.2021 एवं 88(i)/17.02.2022	15,69,900
2	गुमला	994/22.06.2021	4,43,000
3	सिमडेगा	762/17.06.2021	2,76,600
4	लोहरदगा	1173/13.08.2021	3,42,400
5	खूँटी	230/07.06.2021 एवं 245/25.06.2021	8,17,900
6	हजारीबाग	1088/02.06.2021	33,89,200
7	रामगढ़	696/25.05.2021	4,64,000
8	चतरा	1629/21.06.2021	36,11,300
9	कोडरमा	807/31.05.2021	55,200
10	धनबाद	4082/03.06.2021	18,000
11	बोकारो	1246/02.06.2021	11,31,300
12	पूर्वी सिंहभूम	1481/16.06.2021 एवं 1845/28.07.2021	36,89,300
13	पश्चिमी सिंहभूम	129(A)/17.06.2021	1,33,72,400
14	सरायकेला-खरसावाँ	2151/14.06.2021	19,34,300
15	पलामू	290/16.06.2021	21,300
16	गढ़वा	93/31.05.2021	12,800
17	लातेहार	500/21.06.2021	14,90,000
18	जामताड़ा	590/23.06.2021	6,400
19	गोड्डा	465/10.06.2021	1,77,300
20	साहेबगंज	597/23.08.2021	14,07,100
21	पाकुड़	460/31.05.2021	6,01,800
कुल योग:-			3,48,31,500

(V) अन्य मद— शेल्टर होम, राहत शिविर, परिवहन आदि के निमित्त जिलों से प्राप्त अधियाचना का विवरण :—

क्र० सं०	जिला का नाम	पत्रांक/ दिनांक	अधियाचित राशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	पूर्वी सिंहभूम	1756/ 19.07.2021	34,76,584	राज्य आपदा मोचन निधि के निर्गत मद एवं मापदण्ड में अंकित प्रावधान 3(a) के तहत सहमति प्रदान की गई।
2	पश्चिमी सिंहभूम	169(A)/ 25.08.2021	14,65,496	
कुल योग:—			49,42,080	

निर्णय:—3 भारत सरकार द्वारा चिन्हित प्राकृतिक आपदाओं से हुए क्षति एवं होने वाली क्षति के संदर्भ में कतिपय जिलों से प्राप्त अधियाचना को ध्यान में रखते हुए वित्तीय वर्ष 2021–22 एवं 2022–23 के लिए जिलों को राज्य आपदा मोचन निधि के सुसंगत शीर्ष में उपबंधित राशि से अनुमानित राशि उपलब्ध कराने पर राज्य कार्यकारिणी समिति ने मदवार राशि स्वीकृत करने पर निम्नवत् सहमति प्रदान की गई:—

(I) प्राकृतिक आपदा —बाढ़, चक्रवात, ओलापात आदि से हुए फसल क्षति के निमित्त कृषि इनपुट अनुदान हेतु जिलों को अनुमानित राशि की स्वीकृति :—

क्र०सं०	जिला का नाम	स्वीकृत राशि
1	2	3
1	राँची	25,00,000
2	गुमला	15,00,000
3	सिमडेगा	10,00,000
4	लोहरदगा	25,00,000
5	खूँटी	10,00,000
6	हजारीबाग	26,00,000
7	रामगढ़	15,00,000
8	चतरा	15,00,000
9	कोडरमा	10,00,000
10	गिरिडीह	30,00,000
11	धनबाद	30,00,000
12	बोकारो	30,00,000
13	पूर्वी सिंहभूम	30,00,000
14	पश्चिमी सिंहभूम	22,00,000
15	सरायकेला—खरसावाँ	20,00,000
16	पलामू	30,00,000
17	गढ़वा	20,00,000
18	लातेहार	10,00,000
19	दुमका	20,00,000
20	जामताड़ा	10,00,000
21	देवघर	20,00,000
22	गोड्डा	20,00,000
23	साहेबगंज	40,00,000
24	पाकुड़	15,00,000
कुल योग:—		4,98,00,000

- (II) प्राकृतिक आपदा— बाढ़, चक्रवात आदि (अग्निकांड सहित) से संतप्त परिवार हेतु जिलों को अनुमानित राशि की स्वीकृति :-

क्र० सं०	जिला का नाम	स्वीकृत राशि
1	2	3
1	राँची	10,00,000
2	गुमला	10,00,000
3	सिमडेगा	10,00,000
4	लोहरदगा	10,00,000
5	खूँटी	10,00,000
6	हजारीबाग	10,00,000
7	रामगढ़	10,00,000
8	चतरा	10,00,000
9	कोडरमा	10,00,000
10	गिरिडीह	25,00,000
11	धनबाद	10,00,000
12	बोकारो	10,00,000
13	पूर्वी सिंहभूम	40,00,000
14	पश्चिमी सिंहभूम	15,00,000
15	सरायकेला-खरसावाँ	35,00,000
16	पलामू	10,00,000
17	गढ़वा	10,00,000
18	लातेहार	10,00,000
19	दुमका	10,00,000
20	जामताड़ा	10,00,000
21	देवघर	10,00,000
22	गोड्डा	10,00,000
23	साहेबगंज	90,00,000
24	पाकुड़	20,00,000
कुल योग:-		4,05,00,000

- (III) प्राकृतिक आपदा— बाढ़, चक्रवात आदि (अग्निकांड सहित) से घायलों हेतु जिलों को अनुमानित राशि की स्वीकृति :-

क्र० सं०	जिला का नाम	स्वीकृत राशि
1	2	3
1	राँची	34,000
2	गुमला	17,000
3	सिमडेगा	17,000
4	लोहरदगा	17,000
5	खूँटी	15,000
6	हजारीबाग	17,000
7	रामगढ़	17,000
8	चतरा	17,000
9	कोडरमा	17,000
10	गिरिडीह	17,000
11	धनबाद	17,000

क्र० सं०	जिला का नाम	स्वीकृत राशि
12	बोकारो	17,000
13	पूर्वी सिंहभूम	30,000
14	पश्चिमी सिंहभूम	17,000
15	सरायकेला-खरसावाँ	30,000
16	पलामू	17,000
17	गढ़वा	17,000
18	लातेहार	17,000
19	दुमका	17,000
20	जामताड़ा	17,000
21	देवघर	17,000
22	गोड्डा	17,000
23	साहेबगंज	34,000
24	पाकुड़	51,000
कुल योग:-		5,00,000

(IV) प्राकृतिक आपदा - बाढ़, चक्रवात, ओलावृष्टि आदि (अग्निकाण्ड सहित) से क्षतिग्रस्त मकान की मरम्मत एवं पुनर्निर्माण हेतु जिलों को अनुमानित राशि की स्वीकृति :-

क्र० सं०	जिला का नाम	स्वीकृत राशि
1	2	3
1	राँची	18,00,000
2	गुमला	30,00,000
3	सिमडेगा	15,00,000
4	लोहरदगा	10,00,000
5	खूँटी	10,00,000
6	हजारीबाग	15,00,000
7	रामगढ़	11,00,000
8	चतरा	13,00,000
9	कोडरमा	10,00,000
10	गिरिडीह	14,00,000
11	धनबाद	28,00,000
12	बोकारो	31,00,000
13	पूर्वी सिंहभूम	60,00,000
14	पश्चिमी सिंहभूम	33,00,000
15	सरायकेला-खरसावाँ	45,00,000
16	पलामू	21,00,000
17	गढ़वा	10,00,000
18	लातेहार	20,00,000
19	दुमका	14,00,000
20	जामताड़ा	10,00,000
21	देवघर	10,00,000
22	गोड्डा	29,00,000
23	साहेबगंज	70,00,000
24	पाकुड़	18,00,000
कुल योग :-		5,45,00,000

- (V) प्राकृतिक आपदा (अग्निकाण्ड सहित) से क्षतिग्रस्त कपड़ा-बर्तन हेतु जिलों को अनुमानित राशि की स्वीकृति :-

क्र० सं०	जिला का नाम	स्वीकृत राशि
1	2	3
1	राँची	1,00,000
2	गुमला	1,00,000
3	सिमडेगा	1,00,000
4	लोहरदगा	1,00,000
5	खूँटी	1,00,000
6	हजारीबाग	2,00,000
7	रामगढ़	1,00,000
8	चतरा	1,00,000
9	कोडरमा	1,00,000
10	गिरिडीह	2,00,000
11	धनबाद	2,00,000
12	बोकारो	2,00,000
13	पूर्वी सिंहभूम	5,00,000
14	पश्चिमी सिंहभूम	1,00,000
15	सरायकेला-खरसावाँ	4,00,000
16	पलामू	2,00,000
17	गढ़वा	2,00,000
18	लातेहार	1,00,000
19	दुमका	2,00,000
20	जामताड़ा	1,00,000
21	देवघर	1,00,000
22	गोड्डा	2,00,000
23	साहेबगंज	5,00,000
24	पाकुड़	1,00,000
कुल योग:-		43,00,000

निर्णय:-4 विभागीय संकल्प सं०-1055 दिनांक 11.09.2015 के आलोक में राज्य की घोषित विशिष्ट स्थानीय आपदा ~~वज्रपात~~ से मृत/घायल व्यक्ति तथा पशु के Replacement हेतु अश्रित/लाभुक को अनुग्रह भुगतान हेतु जिलों को अनुमानित राशि स्वीकृत किये जाने पर निम्नवत् सहमति प्रदान की गई:-

क्र० सं०	जिला का नाम	स्वीकृत राशि
1	2	3
1	राँची	1,50,00,000
2	गुमला	76,00,000
3	सिमडेगा	1,00,00,000
4	लोहरदगा	50,00,000
5	खूँटी	50,00,000
6	हजारीबाग	50,00,000
7	रामगढ़	50,00,000
8	चतरा	50,00,000
9	कोडरमा	25,00,000
10	गिरिडीह	60,00,000
11	धनबाद	50,00,000
12	बोकारो	50,00,000
13	पूर्वी सिंहभूम	1,00,00,000
14	पश्चिमी सिंहभूम	60,00,000
15	सरायकेला-खरसावाँ	50,00,000
16	पलामू	60,00,000
17	गढ़वा	22,00,000
18	लातेहार	40,00,000
19	दुमका	50,00,000
20	जामताड़ा	34,00,000
21	देवघर	50,00,000
22	गोड्डा	30,00,000
23	साहेबगंज	50,00,000
24	पाकुड़	30,00,000
कुल योग:-		13,37,00,000

निर्णय:-5

विभागीय संकल्प सं०-969 दिनांक-25.10.2018 के आलोक में राज्य की विशिष्ट स्थानीय आपदा – अतिवृष्टि (सामान्य से अधिक वर्षा) से होनेवाले जानमाल की क्षति (यथा-फसल क्षति हेतु कृषि इनपुट अनुदान एवं मकान की मरम्मत एवं पुनर्स्थापन सहित), सर्पदंश, खनन जनित आपदा, रेडियेशन संबंधी आपदा, नाव दुर्घटना, नदियों/डोभा/जलप्रपात में डूबने, भगदड़ एवं गैस रिसाव संबंधी आपदाओं के निमित्त तथा विभागीय संकल्प सं०-184 दिनांक-13.03.2021 के आलोक में राज्य की विशिष्ट स्थानीय आपदा सड़क दुर्घटना से मृत व्यक्ति के आश्रित/हकदार के निमित्त अनुग्रह अनुदान हेतु जिलों को अनुमानित राशि स्वीकृत किये जाने पर निम्नवत् सहमति प्रदान की गई :-

क्र०सं०	जिला का नाम	स्वीकृत राशि
1	2	3
1	राँची	1,50,00,000
2	गुमला	1,10,00,000
3	सिमडेगा	70,00,000
4	लोहरदगा	60,00,000
5	खूँटी	70,00,000
6	हजारीबाग	1,00,00,000
7	रामगढ़	80,00,000
8	चतरा	90,00,000
9	कोडरमा	50,00,000
10	गिरिडीह	80,00,000
11	धनबाद	1,10,00,000
12	बोकारो	1,20,00,000
13	पूर्वी सिंहभूम	1,90,00,000
14	पश्चिमी सिंहभूम	1,00,00,000
15	सरायकेला-खरसावाँ	70,00,000
16	पलामू	80,00,000
17	गढ़वा	70,00,000
18	लातेहार	60,00,000
19	दुमका	80,00,000
20	जामताड़ा	50,00,000
21	देवघर	80,00,000
22	गोड्डा	50,00,000
23	साहेबगंज	1,40,00,000
24	पाकुड़	40,00,000
कुल योग:-		21,00,00,000

निर्णय:-6 दिनांक-04.10.2021 को सम्पन्न राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक में निर्णय लिया गया है कि "प्रतिनियुक्त कम्प्यूटिंग, राज्य आपदा मोचन बल, झारखण्ड, राँची को वाहन एवं आवश्यक उपकरणों के क्रय हेतु राज्य आपदा मोचन निधि के क्षमता संवर्द्धन के सुसंगत शीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में उपबंधित राशि से 2.00 (दो) करोड़ की राशि उपलब्ध कराने के प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गई," के आलोक में अपरिहार्य कारणवश राशि का उपयोग नहीं हो पाने के कारण वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए उक्त राशि की स्वीकृति प्रदान करने के प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गई।

निर्णय:-7 भारत संचार निगम लिमिटेड, बेंगलूर द्वारा झारखण्ड के चार केन्द्रों - राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र (SEOC), राँची एवं जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र (DEOC), धनबाद, देवघर एवं पूर्वी सिंहभूम (जमशेदपुर) में अधिष्ठापित VSAT संचार उपकरण की AMC Charges के लिए दो Quarter (दिसम्बर, 2020 से फरवरी, 2021 तथा मार्च, 2021 से मई, 2021) का Demand Note Cum Performa Invoice जिसकी कुल राशि रु० 26069 + 26069 = 52,138/- (बावन हजार एक सौ अड़तीस) रुपये मात्र राशि के भुगतान के निमित्त दिनांक-18.06.2021 को सम्पन्न राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक में समीक्षोपरान्त निर्णय लिया गया है कि "उक्त वर्णित राशि रु० 26069 + 26069 = 52,138/- (बावन हजार एक सौ अड़तीस) रुपये मात्र सुसंगत शीर्ष से स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया"। AMC Charges के लिए दो Quarter (जून, 2021 से अगस्त, 2021 तथा सितम्बर, 2021 से नवम्बर, 2021) का Demand Note-cum-Performa Invoice जिसकी कुल राशि रु० 26069 + 26069 = 52,138/- (बावन हजार एक सौ अड़तीस) रुपये का विपत्र प्राप्त हुआ तथा उक्त केन्द्रों में भारत संचार निगम लिमिटेड, बेंगलूर द्वारा लगाये गए VSAT संचार उपकरण का Satellite Bandwidth Charges विपत्र की राशि 5,95,749/- रुपये अर्थात् समेकित कुल राशि (₹52,138+₹52,138+₹5,95,749=₹7,00,025) 7,00,025/- रुपये के भुगतान हेतु राशि उपलब्ध कराने के प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गई।

निर्णय:-8 राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र (SEOC), राँची एवं जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्रों (DEOC), धनबाद, देवघर एवं पूर्वी सिंहभूम में कार्यरत तकनीकी सहायकों को दिनांक-18.06.2021 को सम्पन्न राज्य कार्यकारिणी समिति के बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में विस्तारित अवधि (दिनांक-01.04.2021 से 31.03.2022) में JAP IT द्वारा Empanelled Agency M/s SBC Export Ltd. के माध्यम से दिनांक-01.04.2021 से 31.08.2021 तक भुगतान किया गया। इस एजेंसी का समयावधि समाप्त होने एवं M/s M4 Solutions Pvt. Ltd. द्वारा Take over किये जाने के पश्चात् उनके द्वारा दिनांक-01.09.2021 से 31.03.2022 तक मासिक मानदेय (18% GST सहित) कुल 31,388/- (इकतीस हजार तीन सौ अठासी) रुपये की दर से वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रति कर्मी भुगतान किया गया है। अभी भी इनकी आवश्यकता बनी हुई है।

राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र (SEOC), राँची एवं जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्रों (DEOC), धनबाद, देवघर एवं पूर्वी सिंहभूम में एक-एक तकनीकी सहायक कार्यरत हैं। एक तकनीकी सहायक का मासिक मानदेय (18% GST सहित) कुल 31,388/- (इकतीस हजार तीन सौ अठासी) रुपये है। इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2022-23 में तकनीकी सहायकों का वार्षिक मानदेय (18% GST सहित) कुल $31,388 \times 4 \times 12 = 15,06,624/-$ (पन्द्रह लाख छः हजार छः सौ चौबीस) रुपये होगा।

उक्त के आलोक में राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र (SEOC), राँची एवं जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्रों (DEOC), धनबाद, देवघर एवं पूर्वी सिंहभूम में कार्यरत एक-एक तकनीकी सहायकों की सेवा अवधि एक वर्ष (01.04.2022 से 31.03.2023 तक) के लिए विस्तार करने तथा उसपर होने वाले कुल $31,388 \times 4 \times 12 = 15,06,624/-$ (पन्द्रह लाख छः हजार छः सौ चौबीस) रुपये व्यय का वहन वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य आपदा मोचन निधि के क्षमता संवर्द्धन हेतु उपबंधित राशि के सुसंगत शीर्ष से स्वीकृत करने के प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गई।

निर्णय:-9 राज्य/जिला स्तरीय आपदा प्रबंधन योजना(SDMP/DDMP) को नये सिरे से पुनर्गठित करने हेतु राज्य आपदा मोचन निधि के सुसंगत शीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में उपबंधित राशि से मुख्यालय/जिलों को आवश्यकतानुसार 2.00 (दो) करोड़ रुपये के अंतर्गतराशि उपलब्ध कराने के प्रस्ताव पर राज्य कार्यकारिणी समिति द्वारा सहमति प्रदान की गई।

निर्णय:-10 झारखण्ड राज्य के जिला-साहेबगंज/पूर्वी सिंहभूम/सरायकेला-खरसावाँ बाढ़ से प्रायः हर वर्ष प्रभावित होते रहते हैं। इससे होनेवाले जानमाल की क्षति के लिए अलग से मदवार अनुमानित राशि जिलों को उपलब्ध कराई जा रही है। अतएव राहत एवं बचाव कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए मुख्य शीर्ष-2245 के अंतर्गत उपबंधित राशि के सुसंगत शीर्ष से गृह मंत्रालय (आपदा प्रबंधन प्रभाग), भारत सरकार के पत्रांक-32-7/2014-NDM-I दिनांक-08.04.2015 द्वारा राज्य आपदा मोचन निधि हेतु निर्गत मद एवं मापदण्ड में वर्णित प्रावधानानुसार निम्नवत् राशि स्वीकृत किये जाने पर सहमति प्रदान की गई :-

क्र०सं०	जिला का नाम	राशि
1	साहेबगंज	1,00,00,000
2	पूर्वी सिंहभूम	50,00,000
3	सरायकेला-खरसावाँ	50,00,000
कुल योग:-		2,00,00,000

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

ह०/-	ह०/-	ह०/-	ह०/-	ह०/-
(अमिताभ कौशल) सचिव, आपदा प्रबंधन प्रभाग, झारखण्ड, राँची।	(अजय कुमार सिंह) प्रधान सचिव, वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची।	(राजीव अरुण एक्का) प्रधान सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची।	(अरुण कुमार सिंह) अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची।	(सुखदेव सिंह) मुख्य सचिव, झारखण्ड।

झारखण्ड सरकार
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग
(आपदा प्रबंधन प्रभाग)

ज्ञापांक-05/अधियाचना(बैठक)-16/2021/आ०प्र०-259/राँची, दिनांक 13.5.2022

प्रतिलिपि :- माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/मुख्य सचिव के उप सचिव, झारखण्ड/अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग/गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग/वित्त विभाग/खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, राँची/सभी उपायुक्त, झारखण्ड/समादेष्टा, राज्य आपदा मोचन निधि, झारखण्ड, राँची एवं गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग) के संबंधित प्रशाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/5/2022
(सुशील कुमार)
विशेष कार्य पदाधिकारी